संख्या- 30/2018/546/सत्तर-4-2018-405/2016

प्रेषक,

मधु जोशी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,लखनऊ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयय आपके पत्रांक-243-18/एन0एल0यू0लखनऊ/प्रशा0/सी-48/2017, दिनांक 19.02.2018 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1655/सत्तर-4-2016-405/2016, दिनांक 03.01.2017 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-27/2018/489/70-4-2017-405/2016, दिनांक 31.03.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 में डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 2,76,44,776/- (रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख चौवालीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यों/मदों में किया जायेगा जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों में धनराशि का व्यय/व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के बिल पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

4- उक्त अनुदान की धनराशि कुलसचिव/वित्त अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर निर्माण कार्य की आवश्यकतानुरुप तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता / पी0एल0ए0 / पोस्ट आफिस में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने एवं कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनाये रखने के संबंध में विश्वविद्यालय तथा कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

7- निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय एवं सम्यक परीक्षण आवश्यक है।

8- उक्त शासनादेश दिनांक 03.01.2017 एवं 31.03.2017 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

SP G.O.

9- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 01- सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-18-डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

मधु जोशी

(मधु जोशी)

विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लि0, लखनऊ।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल आनलाईन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

अनु सचिव

SP G.O.